न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (अलवर)

प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

आसू खां बनाम अब्बास व अन्य अप्रार्थीगण

....

...ब हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनि यल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
...0.2021	आज यह प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा वकील प्रार्थी ने दावे के साथ पेश किया। दावा वो प्रार्थना पत्र को पढा गया। वकील वादी/प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। बहस वकील प्रार्थी वो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात वो शपथ पत्र प्रार्थी से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है। सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है नापूर्ति क्षति भी प्रार्थी को ही है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 10.11.2021 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण/प्रतीवादी वर्णित आराजी हाल खसरा नम्बर 108/0.1900 है0, 113/1.2400 है0, 115/0.5800 है0, 116/0.2000 है0, कुल किता 4 रकबा 2.2100 है0, 144/2.8700 है0, 114/1.4200 है0, 110/0.6700 है0 वाके ग्राम चौंडावता तहसील किशनगढबास को जिला अलवर राजस्थान में आगामी तारीख पेशी तक रिकॉर्ड एव मौके की यथास्थिति बनाये रखे। तथा क्योंना यह आज्ञा ताफैसला दावा स्थाई कर दी जावे जो भी आपत्ति हो हाजिर अदालत होकर उत्तर पेश करे, वकील प्रार्थी इस अमर का रजिस्टर्ड ए.डी. तलबानापेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 10.11.2021 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास(अलवर) 6-11-21 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब उपखण्ड अधिकारी [illegible] अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं। उभयपक्ष के अभि.उप. आगामी दिनांक 5-1-22 को पेश हो। रीडर	

5-1-22 पत्रावली पेश हुई। दावा वादी मय हाजिरी फर्द में खारिज हो चुका है। वादी का प्रार्थना पत्र भी खारिज किया गया है। पत्रावली शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे।

उपखण्ड अधिकारी